5/219/378/2016

श्री एस0एम0 विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.02.2016 को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) के सन्दर्भ में आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवृत्त

स्थल— एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

दिनांक 26.02.2016 को प्रदेश के 75 जिलों से ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से योजना भवन में आयोजित की गई।

वीडियो कान्फ्रेसिंग (वी0सी0) की **अध्यक्षता श्री एस0एम0 विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली** तथा संचालन **श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन** द्वारा किया गया। इस अवसर पर **वी0सी0 में श्रीमती रश्मि शुक्ला** शर्मा, अपर सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज **मंत्रालय**, श्री एस0एन0 सिंह, उपनिदेशक(पं0)/नोडल आफिसर, आर0जी0पी0एस0ए0, श्री सुमित त्रिपाठी, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, श्री आनन्द श्रीवास्तव एन0आई0सी0, श्री प्रशांत मिश्रा, राज्य परियोजना प्रबन्धक, आर0जी0पी0एस0ए0, श्री रितेश शर्मा, राज्य लेखा विशेषज्ञ, आर0जी0पी0एस0ए0, सुश्री सुनीता सिंह, स्टेट कंसलटेन्ट, आर0जी0पी0एस0ए0, डा0 प्रीती सिंह, स्टेट कंसलटेन्ट, आर0जी0पी0एस0ए0, श्री अभिषेक श्रीवास्तव, तकनीकी विशेषज्ञ, आर0जी0पी0एस0ए0 भी उपस्थित रहे।

वी0सी0 अवधि में 75 जनपदों के 25 जिलाधिकारी, 38 मुख्य विकास अधिकारी, 8 के साथ उपनिदेशक(पं0), जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबन्धक भी उपस्थित रहे जिनसे 03 समूहों में यथा पूर्वाह्न 11:00–12:30, अपराह्न 01:00–2:30 एवं सांय 04:00–05:30 पर जी0पी0डी0पी0 पर उन्मुखीकरण के पश्चात् क्रियान्वयन पर प्रगति समीक्षा की गई।

वी0सी0 की अवधि में श्री एस0एम0 विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं को ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण का मजबूत स्तम्भ बताते हुए जनपदों का उन्मुखीकरण किया गया:-

- जी0पी0डी0पी0 एक स्कीम नहीं है अपितु ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के विकास हेतु बनाई गई एक 'योजना की व्यवस्था' है जिसमें गॉव के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि यह एक जन समुदाय की योजना है।

4962

उप निदेशक (पं0)(एक)

निदेशक 14/3/16

- यह योजना एक कन्वर्जेंस योजना है जो फंड के मिक्सिंग पर आधारित नहीं हैं, बल्कि इसमें ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ग्राम पंचायत/समुदाय की जरूरतों/आवश्यकताओं का मिलान होना आवश्यक है। योजना प्रधान oriented नही अपितु पंचायत oriented हो।

- मनरेगा (MGNREGA) एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम का समेकन ग्राम पंचायत विकास योजना में आवश्यक रूप से किया जाये जिसमें प्रारम्भिक रूप से मात्र मनरेगा एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम में लिए कार्यों का अंकन योजना में कर लिया जाए, जबकि वित्तीय समेकन, मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने एवं अगले चरणों में किया जा सकता है।

- उ0प्र0 के सहयोगात्मक ढांचे में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन की शत–प्रतिशत् उपलब्धता होनी अति आवश्यक है जिसकी पूर्ति मनरेगा अथवा राज्य द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से की जा सकती है।

(एस0 एन0 सिंह)
उपनिदेशक (पंचायत)
पंचायती राज उ0प्र0

- 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग जल/ स्वच्छता/ ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए भी किया जा सकता है।

- अनुश्रवण हेतु ग्राम पंचायतें, स्वयं के स्तर से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण, वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं पूर्ण कराए गए कार्यों का विवरण बोर्ड अथवा दीवार पर पेंट करवा कर जन–सामान्य के लिए उपलब्ध करा सकती है।

- पंचायतों द्वारा निर्मित योजना का निर्माण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के उददेश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय विशिष्ट मुददों यथा शिक्षा, (जनपद श्रावस्ती द्वारा प्रस्तुत सुझाव), स्वास्थ्य (जनपद गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत सुझाव) को केन्द्रित कर योजना का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना मात्र लागत एवं फंड को ध्यान में रखने के अतिरिक्त गॉव को बेहतर सुविधाओं की पहुँचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी बनाई जा सकती है। जिसमें एस0एच0जी0 एवं शिक्षकों की अहम् भूमिका हो सकती है।

- प्रत्येक जनपद कम से कम एक या दो ग्राम पंचायतों को बीकन पंचायत (मॉडल पंचायतों) के रूप से विकसित करें जिसमें जनपदों में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया गया हो जो अन्य ग्राम पंचायतों/जनपदों/राज्यों के लिए अनुकरणीय (रोल मॉडल) बन सके।

प्रगति समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि समस्त जनपदों द्वारा जनपद में बेसिक संरचनात्मक ढांचे एवं जनपद स्तर पर वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियों को सम्पादित कर प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदो से विचार विमर्श के पश्चात् निम्न बिन्दु/ तथ्य प्रकाश में आए:–

1) जनपद स्तर पर प्रशिक्षण/ अन्य गतिविधियों के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर प्रति जनपद 04 मास्टर ट्रेनरों प्रशिक्षण के उपरान्त तैयार कुल 275 मास्टरों की उपलब्धता को अपर्याप्त मनाते हुए, (जनपदों के बढ़े कार्यक्षेत्र एवं योजना तैयार किये जाने में समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए) जनपदो द्वारा मॉग की गयी कि जनपद में मास्टर ट्रेनरों की संख्या बढ़ाई जाये। जिसके क्रम में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि विभाग प्रति विकास खण्डवार (821 वि0ख0) एक मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करे एवं शीघ्र ही पुनः जनपदों से नामित संदर्भ व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराया जाये।

2) जनपदों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में प्रति क्लस्टर 10–12 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर में संशोधन के प्रस्ताव पर निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 में न्याय पंचायतों की व्यवस्था पूर्व से

ही लागू है अतः कलस्टर स्तर पर न्याय पंचायत को ही कलस्टर मानते हुए उसपर विकास खण्ड स्तरीय विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को चार्ज आफीसर नियुक्त कर लिया जाये।

3) जनपद द्वारा ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित कराये जा रहे एसेट/ढांचागत सुविधाओ (यथा– पंचायत भवन, सडक, खडंजा, रूरल हॉट, अंत्येष्टि स्थल आदि) के स्टैण्डर्ड/मॉडल एस्टीमेट एवं डिजाइन की मॉग को भी शीघ्र ही जनपदों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4) योजना बनाने में विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) की भूमिका एवं उत्तर दायित्वों को भी स्पष्ट अंकित करने की मॉग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आई जिस पर स्पष्ट निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये।

5) 14वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा निर्गत शासनादेश में जनपदों/विकास खण्डों को उपलब्ध कराए जा रहे मानव संसाधनों की गुणवत्ता को जॉच कर ही जनपदों को उपलब्ध कराए जाने की मॉग बैठक में सामने आई।

6) जनपदों द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत क्रियान्वित सी0एल0टी0एस0 घटक के विषय में तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं/रिसोर्स व्यक्तियों की आवश्यकता को सामने लाया गया, जिस पर उन्हे अवगत कराया गया कि वर्ड बैंक से इस सम्बन्ध में वार्ता की जा चुकी है।

7) नवसृजित जनपदों यथा कौशाम्बी, सम्भल, शामली एवं हापुड में अधिष्ठान एवं पद सृजन सम्बन्धी समस्याओं का भी चिन्हीकरण हुआ जिसको उचित रूप से सम्बोधित करने का आदेश दिया गया।

8) जनपदों द्वारा सामने आये मुददों में ग्राम पंचायत विकास योजना में कार्यों की तकनीकी स्वीकृति की सीमा 2001 से लागू है जिसको संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई एवं यथानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए।

9) ग्राम पंचायत के समान्य निर्वाचन के पश्चात् नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का मुददा भी चर्चा की अवधि में सामने प्रस्तुत हुआ जिसका अतिशीघ्र निस्तारण कर रणनीति बनाकर कार्य करने के आदेश दिये गये।

10) वर्तमान स्थिति के अनुसार योजना में लिए गये कार्यो के तकनीकी अनुमोदन में सम्मिलित आर0डी0एस0 एवं एम0आई0 के ए0ई/जे0ई0 की सेवाएं ली जा सकती हैं एवं उनके यात्रा–भत्तो का भुगतान योजना से किये जाने की मॉग जनपदों द्वारा प्रस्तुत की गई।

समस्त जनपदों द्वारा यह आशान्वित किया गया कि मार्च में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अप्रैल तक ग्राम पंचायतों की योजनाएं तैयार कर ली जाएगी। इस प्रकार समस्त जनपदों से प्राप्त सुझावों पर शीघ्र ही रणनीति बनाकर कार्य किये जाने का आदेश देते हुए प्रमुख सचिव महोदय द्वारा वीडिया कान्फ्रेसिंग समाप्त की गई।

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–3
संख्या– 684/33–3–2016–59/2016
लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्री एस0 एम0 विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. निजि सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

श्री एस0एम0 विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.02.2016 को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) के सन्दर्भ में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त

स्थल– एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

दिनांक 26.02.2016 को प्रदेश के 75 जिलों से ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना भवन में आयोजित की गई।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी0सी0) की **अध्यक्षता श्री एस0एम0 विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली** तथा **संचालन श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव,** पंचायतीराज, **उ0प्र0 शासन** द्वारा किया गया। इस अवसर पर **वी0सी0 में श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय,** श्री एस0एन0 सिंह, उपनिदेशक(पं0)/नोडल आफिसर, आर0जी0पी0एस0ए0, श्री सुमित त्रिपाठी, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, श्री आनन्द श्रीवास्तव एन0आई0सी0, श्री प्रशांत मिश्रा, राज्य परियोजना प्रबन्धक, आर0जी0पी0एस0ए0, श्री रितेश शर्मा, राज्य लेखा विशेषज्ञ, आर0जी0पी0एस0ए0, सुश्री सुनीता सिंह, स्टेट कंसलटेन्ट, आर0जी0पी0एस0ए0, डा0 प्रीती सिंह, स्टेट कंसलटेन्ट, आर0जी0पी0एस0ए0, श्री अभिषेक श्रीवास्तव, तकनीकी विशेषज्ञ, आर0जी0पी0एस0ए0 भी उपस्थित रहे।

वी0सी0 अवधि में 75 जनपदों के 25 जिलाधिकारी, 38 मुख्य विकास अधिकारी, 8 के साथ उपनिदेशक(पं0), जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबन्धक भी उपस्थित रहे जिनसे 03 समूहों में यथा पूर्वाहन 11:00–12:30, अपराहन 01:00–2:30 एवं सांय 04:00–05:30 पर जी0पी0डी0पी0 पर उन्मुखीकरण के पश्चात् क्रियान्वयन पर प्रगति समीक्षा की गई।

वी0सी0 की अवधि में श्री एस0एम0 विजयानन्द, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुओं को ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण का मजबूत स्तम्भ बताते हुए जनपदों का उन्मुखीकरण किया गया:–

- जी0पी0डी0पी0 एक स्कीम नहीं है अपितु ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के विकास हेतु बनाई गई एक 'योजना की व्यवस्था' है जिसमें गॉव के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि यह एक जन समुदाय की योजना है।

- यह योजना एक कन्वर्जेंस योजना है जो फंड के मिक्सिंग पर आधारित नही हैं, बल्कि इसमें ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ग्राम पंचायत/समुदाय की जरूरतों/आवश्यकताओं का मिलान होना आवश्यक है। योजना प्रधान oriented नही अपितु पंचायत oriented हो।

- मनरेगा (MGNREGA) एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम का समेकन ग्राम पंचायत विकास योजना में आवश्यक रूप से किया जाये जिसमें प्रारम्भिक रूप से मात्र मनरेगा एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम में लिए कार्यों का अंकन योजना में कर लिया जाए, जबकि वित्तीय समेकन, मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने एवं अगले चरणों में किया जा सकता है।

- उ0प्र0 के सहयोगात्मक ढ़ाचें में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन की शत–प्रतिशत् उपलब्धता होनी अति आवश्यक है जिसकी पूर्ति मनरेगा अथवा राज्य द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से की जा सकती है।

- 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग जल/ स्वच्छता/ ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए भी किया जा सकता है।

- अनुश्रवण हेतु ग्राम पंचायतें, स्वयं के स्तर से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण, वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं पूर्ण कराए गए कार्यों का विवरण बोर्ड अथवा दीवार पर पेंट करवा कर जन–सामान्य के लिए उपलब्ध करा सकती है।

- पंचायतों द्वारा निर्मित योजना का निर्माण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के उददेश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय विशिष्ट मुददों यथा शिक्षा, (जनपद श्रावस्ती द्वारा प्रस्तुत सुझाव), स्वास्थ्य (जनपद गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत सुझाव) को केन्द्रित कर योजना का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना मात्र लागत एवं फंड को ध्यान में रखने के अतिरिक्त गॉव को बेहतर सुविधाओं की पहुँचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी बनाई जा सकती है। जिसमें एस0एच0जी0 एवं शिक्षकों की अहम् भूमिका हो सकती है।

- प्रत्येक जनपद कम से कम एक या दो ग्राम पंचायतों को बीकन पंचायत (मॉडल पंचायतों) के रूप से विकसित करें जिसमें जनपदों में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया गया हो जो अन्य ग्राम पंचायतों/जनपदों/राज्यों के लिए अनुकरणीय (रोल मॉडल) बन सके।

प्रगति समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि समस्त जनपदों द्वारा जनपद में बेसिक संरचनात्मक ढांचे एवं जनपद स्तर पर वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियों को सम्पादित कर प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस सम्बन्ध में विभिन्न जनपदो से विचार विमर्श के पश्चात् निम्न बिन्दु/ तथ्य प्रकाश में आए–

1) जनपद स्तर पर प्रशिक्षण/ अन्य गतिविधियों के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर प्रति जनपद 04 मास्टर ट्रेनरों प्रशिक्षण के उपरान्त तैयार कुल 275 मास्टरों की उपलब्धता को अपर्याप्त मनाते हुए, (जनपदों के बढ़े कार्यक्षेत्र एवं योजना तैयार किये जाने में समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए) जनपदो द्वारा मॉग की गयी कि जनपद में मास्टर ट्रेनरों की संख्या बढ़ाई जाये। जिसके क्रम में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि विभाग प्रति विकास खण्डवार (821 वि0ख0) एक मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करे एवं शीघ्र ही पुनः जनपदों से नामित संदर्भ व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराया जाये।

2) जनपदों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में प्रति क्लस्टर 10–12 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर में संशोधन के प्रस्ताव पर निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 में न्याय पंचायतों की व्यवस्था पूर्व से

ही लागू है अतः कलस्टर स्तर पर न्याय पंचायत को ही कलस्टर मानते हुए उसपर विकास खण्ड स्तरीय विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को चार्ज आफीसर नियुक्त कर लिया जाये।

3) जनपद द्वारा ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित कराये जा रहे एसेट/ढाचागत सुविधाओं (यथा– पंचायत भवन, सड़क, खड़ंजा, रूरल हॉट, अंत्येष्टि स्थल आदि) के स्टैण्डर्ड/मॉडल एस्टीमेट एवं डिजाइन की मॉग को भी शीघ्र ही जनपदों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4) योजना बनाने में विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) की भूमिका एवं उत्तर दायित्वों को भी स्पष्ट अंकित करने की मॉग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामने आई जिस पर स्पष्ट निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये।

5) 14वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा निर्गत शासनादेश में जनपदों/विकास खण्डों को उपलब्ध कराए जा रहे मानव संसाधनों की गुणवत्ता को जॉच कर ही जनपदों को उपलब्ध कराए जाने की मॉग बैठक में सामने आई।

6) जनपदों द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत क्रियान्वित सी0एल0टी0एस0 घटक के विषय में तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं/रिसोर्स व्यक्तियों की आवश्यकता को सामने लाया गया, जिस पर उन्हे अवगत कराया गया कि वर्ड बैंक से इस सम्बन्ध में वार्ता की जा चुकी है।

7) नवसृजित जनपदों यथा कौशाम्बी, सम्भल, शामली एवं हापुड़ में अधिष्ठान एवं पद सृजन सम्बन्धी समस्याओं का भी विन्हीकरण हुआ जिसको उचित रूप से सम्बोधित करने का आदेश दिया गया।

8) जनपदों द्वारा सामने आये मुददों में ग्राम पंचायत विकास योजना में कार्यों की तकनीकी स्वीकृति की सीमा 2001 से लागू है जिसको संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई एवं यथानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए।

9) ग्राम पंचायत के समान्य निर्वाचन के पश्चात् नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का मुददा भी चर्चा की अवधि में सामने प्रस्तुत हुआ जिसका अतिशीघ्र निस्तारण कर रणनीति बनाकर कार्य करने के आदेश दिये गये।

10) वर्तमान स्थिति के अनुसार योजना में लिए गये कार्यो के तकनीकी अनुमोदन में सम्मिलित आर0डी0एस0 एवं एम0आई0 के ए0ई/जे0ई0 की सेवाएं ली जा सकती हैं एवं उनके यात्रा–भत्ते का भुगतान योजना से किये जाने की मॉग जनपदों द्वारा प्रस्तुत की गई।

समस्त जनपदों द्वारा यह आशान्वित किया गया कि मार्च में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अप्रैल तक ग्राम पंचायतों की योजनाएं तैयार कर ली जाएगी। इस प्रकार समस्त जनपदों से प्राप्त सुझावों पर शीघ्र ही रणनीति बनाकर कार्य किये जाने का आदेश देते हुए प्रमुख सचिव महोदय द्वारा वीडिया कान्फ्रेसिंग समाप्त की गई।

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–3
संख्या–686/33–3–2016–59/2016
लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्री एस0 एम0 विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, अपर सचिव, सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. निजि सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
5. वरिष्ट तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।